(118)

राजस्व मण्डल ग्वालियर के

रा.रा.श्रीमान् ~~अपर आयुक्त~~ महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर केसमक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/0300

श्री नेहरू पिता खूबचन्द
निवासी–ग्राम नेऊगुराडिया,तहसील महू,
जिला इंदौर म.प्र.... अपीलांण्ट

विरूद्ध

1.श्रीमती प्रेमाबाई पति स्व.श्री मोहन
निवासी–ग्राम नेऊगुराडिया,तहसील महू

2.श्री सुरेन्द्र पिता स्व.श्री मोहन
निवासी–ग्राम नेऊगुराडिया,तहसील महू

3.श्री दिलीप पिता स्व.श्री मोहन
निवासी–ग्राम नेऊगुराडिया,तहसील महू

4.श्री फतेहसिंह पिता श्री खूबचन्द
निवासी–ग्राम नेऊगुराडिया,तहसील महू... रिस्पाडेन्टगण

रिवीजन धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में

अपीलांण्ट की ओर से निवेदन है कि–

यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक–04/अ–74/2016–17 में दिनांक 12/10/2017 को आदेश दिया है एवम् उक्त तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय डॉ.अंबेडकर नगर महू के समक्ष अपीलाण्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील प्रकरण क्रमांक–03/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 23/11/2017 को जो आदेश 41 नियम 27 व धारा 151 सीपीसी में जो आदेश दिया गया है, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांण्ट निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते है कि–

........2........

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/0300**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो ।** (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	